निगरानी /टी0ए0/4632/2016/करौली
अब्दुल अफीज बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री सूरज भान जैमन, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री खडग सिंह अधिवक्ता प्रार्थी । (2) श्री सत्यनारायण सोलंकी उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** **दिनांकः 28 जून, 2018** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 74/02 शीर्षक सरकार बनाम अब्दुल हफीज में पारित निर्णय दिनांक 13–8–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार सायल/रेस्पोडेंट की ओर से सहायक कलक्टर मुख्यालय बौली के समक्ष निगराकार की ओर से एक दावा बावत रिकार्ड दुरस्ती का पेश किया तथा वाद के दौरान एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत आराजी खसरा नम्बर 470 रकबा 3–17 स्थित ग्राम बहतेड तहसील मलारना डूगर के सम्बन्ध में पेश कर जाहिर किया कि आराजी पूर्व में मूल चन्द महाजन की थी, मूलचन्द के लावारिस फोत होने बावत प्रार्थनापत्र शकूर अली द्वारा कलक्टर के समक्ष पेश किया जिसकी जॉच उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर से कराई, जिस पर उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपने आदेश अदिनांक 24–10–63 में मूलचन्द को लावारिस फौत होना नही माना बल्कि उसका सूरजमल होना माना। तहसीलदार बौली ने अपने आदेश दिनांक 17–6–71 से विवादित आराजी पर प्रार्थी का सं0 2012 से कब्जा होना मानते हुए धारा 19 आरटीए के तहत खातेदारी प्रदान की , जिसकी पालना में नामा0 414 संख्या प्रार्थी के पक्ष में तस्दीक हो चुका है तभी से प्रार्थी काबिज चला आ रहा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। दिनांक 13–3–01 को तहसीलदार मलारना डूगर ने वादग्रस्त आराजी को सिवायक मानते हुए विवादित आराजी पर निगरानीकार के कब्जे को अतिक्रमण मानते हुए विवादित आराजी से बेदखल करने हेतु धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नोटिस दिया जिस पर निगराकार ने सहायक कलक्टर के समक्ष टी0आई हेतु धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया। सहायक कलक्टर बोली ने अपने निर्णय दिनांक 15–5–02 द्वारा प्रार्थी /निगराकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी/ सरकार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला दावा पाबन्द कर दिया कि वे आराजी खसरा नम्बर 470 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बहतेड से बेदखल नही करे। उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर राज्य सकार ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 13–8–02 के द्वारा अपील को स्वीकार कर सहायक कलक्टर बौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–5–02 को निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षक्ष की बहस सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य कथन है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र को आक्षेपति आदेश से खारिज कर कानूनी त्रुटि की है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30–12–63 को मान्यता नही देने में तथा तहसीलदार द्वारा पेश अपील को स्वीकार करने में अपने अधिकार का प्रयोग अनियमितता से किया है। प्रार्थी धारा 19 आरटीए के तहत खातेदार घोषित हो चुका है । यदि तहसीलदार उक्त निर्णय से असन्तुष्ट थे तो उन्हे उसके विरुद्ध सक्षम नयायालय में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यवाही करनी चाहिए थी न कि एक खातेदार को उसके कब्जे से बेदखल करना चाहिए था। कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–12–63 जिसकी नकल पेश की गयी है, के द्वारा मूल चन्द महाजन का लावासिस मरना नही पाये जाने से उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–12–63 को लावारिसी की कार्यवाही को ड्रोप किया है। उक्त निर्णय के बाद लावारिसी के सम्बन्ध में कोई कार्यवही कानूनन नही चल सकती है। जब लावारिसी की कार्यवाही दिनांक 30–12–63 को दाखिल दफ्तर की जा चुकी थी तब सिवायचक के अंकन का कोई आधार नही रहता है। प्रार्थी के पक्ष में जब धारा 19 के तहत खातेदारी दर्ज करने के आदेश हो चुके है तो किसी खातेदार को ऐसी समरी कार्यवाही से बेदखल नही किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि जिन आधारों को राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय का आधार बनाया है यथा भूमि को राजगामी घोषित होना नामा0 संख्या 1187 दिनांक 25–8–87 का निरस्त नही कराया जानाा, उसमें निगराकार पक्षकार नही है। अतः वह ऐसे एक पक्षीय व क्षेत्राधिकार विहीन पारित राजगामी आदेश से बंधा हुआ नही है। उनका तर्क है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु निगराकार के पक्ष में होते हुए भी विद्वान अपील अधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार धारा 212 के प्रार्थनापत्र को खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। एक खातेदार व काबिज व्यक्ति को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। उनका आगे तर्क है कि तहसीलदार ने जब धारा 19 आरटीए के तहत आदेश पारित करने से सस्टोपल के सिद्धान्त से भी उसी को निष्प्रभावी करने हेतु अपील पेश करने हेतु सक्षम नही थें चूकि जब तहसीलदार अपील पेश करने में सक्षम नही थे तो ऐसी अपील को स्वीकार कर लेने में राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील प्राधिकारी ने अपने अधिकार का प्रयोग अनियमितता से किया है। उनका आगे तर्क है कि सिवायचक की कार्यवाही कानूनन मान्य नही है क्योकि उक्त कार्यवाही खातेदार को बिना सुने की है। खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज नही किया जा सकता है। सहायक कलक्टर ने अपने निर्णय में जो आधार लिये है उन पर राजस्व अपील अधिकारी ने गौर नही किया है। ऐसी स्थिति में निगरानीधीन निर्णय बिना किसी आधार व पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत पारित किया गया है। अन्त में निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–8–03 को निरस्त कर सहायक कलक्टर बौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–5–02 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। 5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और बताया कि विवादित आराजी मृतक मूलचंद की लावारिस भूमि है। विद्वान जिला जज ने विवादित आराजी को राजगामी सम्पत्ति घोषित किया है और इस आदेश की पालना में विवादित आराजी सिवायक दर्ज की गयी है तथा तहसीलदार द्वारा इस पर कब्जा लिया गया है। चूँकि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है और अप्रार्थी के कब्जे काश्त में है। विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने गलत प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किये है। लेकिन विद्वान अपील अधिकारी ने अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने में कोई कानूनी त्रुटि नही की है। 6– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि प्रार्थी धारा 19 आरटीए के तहत खातेदार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	घोषित हो चुका है । यदि तहसीलदार उक्त निर्णय से असन्तुष्ट थे तो उन्हे उसके विरुद्ध सक्षम नयायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी न कि एक खातेदार को उसके कब्जे से बेदखल करना चाहिए था। कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–12–63 जिसकी नकल पेश की गयी है, के द्वारा मूल चन्द महाजन का लावासिस मरना नही पाये जाने से उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 30–12–63 को लावारिसी की कार्यवाही को ड्रोप किया है। उक्त निर्णय के बाद लावारिसी के सम्बन्ध में समस्त कार्यवही कानूनन नही चल सकती है। जब लावारिसी की कार्यवाही दिनांक 30–12–63 को दाखिल दफ्तर की जा चुकी थी तब सिवायचक के अंकन का कोई आधार नही रहता है। प्रार्थी को जब धारा 19के तहत खातेदारी दर्ज करने के आदेश हो चुके है तो किसी खातेदार को ऐसी समरी कार्यवाही से बेदखल नही किया जा सकता है। राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय का जो आधार बनाया है उसमें निगराकार पक्षकार नही है। अतः वह ऐसे एकपक्षीय आदेश से बाध्य नही है। चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु निगराकार के पक्ष में होते हुए भी विद्वान अपील अधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार धारा 212 के प्रार्थनापत्र को खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। एक खातेदार व काबिज व्यक्ति को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने अपील को स्वीकार कर लेने में अपने अधिकार का प्रयोग अनियमितता से किया है। सिवायचक की कार्यवाही कानूनन मान्य नही है क्योकि उक्त कार्यवाही खातेदार/ प्रार्थी को बिना सुने की है। खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज नही किया जा सकता है। सहायक कलक्टर ने अपने निर्णय में जो आधार लिये है उन पर राजस्व अपील अधिकारी ने गौर नही किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7— पत्रावली के अवलोकन के बाद यह स्थिति भी सामने आती है कि राजस्थान राजगामी सम्पत्ति अधिनियम के सेक्शन 14□(11) के अनुसार उक्त अधिनियम की कार्यवाही के विरुद्ध यदि उचित आधरा हो तो ही परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद लाया जा सकता है। प्रकरण में जब एक बार मृतक मूलचन्द को जिला कलक्टर ने लावारिस फोत होना नही माना है तथा दिनांक 19—6—71 को तहसीलदार बौली द्वारा प्रार्थी को धारा 19 आरओए के तहत खतोदारी अधिकार दिये जा चुके है और निगराकार रिकार्डडेड खातेदार भी चला आ रहा था तो अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को राजगामी सम्पत्ति घोषित होने की कार्यवाही में निगराकार को बिना सुने ही उसके विरुद्ध जो कार्यवाही की गयी है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। । चूँकि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु निगराकार के पक्ष में वखूबी सिद्ध होते है। यदि निगराकार को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति भी निगराकार को ही होगी। जैसा कि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक काबिज व्यक्ति को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया जा सकता है। उक्त सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ही विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय 16—5—02 के द्वारा प्रार्थी/निगराकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को ता फैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबन्द किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटि नही हैं। चूँकि वाद परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें दोनो पक्षों की ओर से साक्ष्य सबूत लिये जाकर अन्तिम निर्णय होना है। ऐसी स्थिति में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित व कानूनी सम्मत है। लेकिन विद्वान राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निगरानीधीन निर्णय बिना किसी आधार व पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित किया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। फलस्वरुप हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है। 8— अतः उपरोक्त विवेचनके प्रकाश में यह निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13—8—03 को निरस्त कर सहायक कलक्टर बौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—5—02 को यथावत रखा जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सूरज भान जैमन) सदस्य	

निगरानी /टी0ए0/4632/2016/करौली

अब्दुल अफीज बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित आराजी वादीगण की संयुक्त पैतृक आराजी होकर वादीगण अपने पिता एवं पितामह के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। ।प्रतिवादीगण विवादित आराजी को रहन बय व मुंतकिल करने के लिए धमकी दे रहे है। अतः प्रतिवादीगण व्दारा निष्पादित फर्जी व बनावटी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में जो अमल दरामद कराया है उसे निरस्त किया जाकर विवादित आराजी को वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दावा वादी डिक्री किया जावे। दौराने दावा वादीगण व्दारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण का है लेकिन प्रतिवादीगण अपना कब्जा बता रहे है । इसलिए मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय व्दारा मंगवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20–6–14 को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी के ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी । 4– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से बताया कि प्रार्थी व्दारा परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी पर वास्तविक भौतिक रुप से कब्जा वादीगण का है लेकिन प्रतिवादीगण व्दारा कब्जा काश्त अपनी बताई जा रही है इसलिए मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय व्दारा मंगवाई जावे ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके एवं न्यायालय को निर्णय करने में मदद मिल सके। लेकिन परीक्षण न्यायालय ने इसे गलत आधार लेकर खारिज कर दिया जबकि उन्हे विवादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए थी लेकिन उनके व्दारा प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियो को समझे बिना व गलत अर्थ लगाते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। अन्त में निवेदन किया कि निगरानी एडमिट कर स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर परीक्षण न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 20–6–14 की पालना ताफैसला निगरानी स्थगित रखते हुए प्रकरण में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही ता फैसला निगरानी स्थगित किया जावे एवं अप्रार्थीगण को पाबंबद किया जावे कि वह विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। 6– हमने प्रार्थी के विव्दान अधिवक्ता की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। प्रार्थी ने परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर मौके पर वास्तविक कब्जा किसका है, इस बाबत मौका रिपोर्ट मंगाने हेतु निवेदन किया। दौराने वाद मौका रिपोर्ट मंगाये जाने से साक्ष्य का निर्माण होगा। मौका रिपोर्ट पूर्व प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि हेतु तो मंगायी जा सकती है ,किन्तु साक्ष्य निर्माण करने के लिए यह उचित नहीं है। अतः परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–6–2014 उचित है, जिसमें हम कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरुप हस्तगत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज करना उचित समझते है। 7– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुंत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निर्णित करते हुए खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(बी. एस. गर्ग)** **सदस्य**	

निगरानी /टी0ए0/4632/2016/करौली

अब्दुल अफीज बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए